भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1369

जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल जमाव संबंधी योजना

1369. श्री प्रिंस राज:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल जमाव वाले कृषि योग्य भूमि से जल की निकासी के लिए सरकार द्वारा कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया गया है/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस संबंध में राज्य की भूमिका क्या है और राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) बिहार सरकार के समस्तिपुर और दरभंगा जिलों में निकासी और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भूमिका निभाए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): चूंकि जल निकासी सहित जल का विषय भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सूची सूची का सातवीं अनुसूची को अंतर्गत आती है, इसलिए ऐसी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार नीचे उल्लिखित उपयुक्त योजनाओं के अंतर्गत मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत चल रहे कमांड क्षेत्र विकास कार्यों में जलभराव वाली कृषि योग्य भूमि से जल निकासी के के लिए मौजूदा स्कीमों में प्रावधान मौजूद हैं। इसके अंतर्गत 'स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन' के तहत आने वाली गतिविधि में जलभराव वाले क्षेत्रों का सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का बाढ़ से संरक्षण किया जाता है। इसके लिए गंगा बेसिन

बेसिन राज्यों से प्राप्त बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाओं/जल निकासी योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) में किया जाता है।

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम और पीएमकेएसवाई के सीएडीडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्रमश **अनुलग्नक-I और II** में दिया गया है।

(घ): जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने बिहार में 9.41 लाख हेक्टेयर जल भराव क्षेत्र की पहचान की है। राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 1.80 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र से पानी की निकासी की जा चुकी है। शेष 7.62 लाख हेक्टेयर में से 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के जल भराव क्षेत्र को सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य के कारण बाहर निकालना संभव नहीं है। राज्य सरकार शेष चिन्हित क्षेत्र में जल निकासी के मुद्दे को हल करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने सूचित किया है कि ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न कटाव रोधी कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं। इस संबंध में, बाढ़ वर्ष 2023 से पहले 5092.23 लाख रुपये की लागत से 32 बाढ़ कटाव रोधी कार्य निष्पादित किए जा जा रहे हैं, जिससे दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में भी जल निकासी लाभ होगा। तथापि, बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा जिलों के बाढ़ नियंत्रण प्रभागों द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) को जल निकासी के संबंध में कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

****

अनुलग्नक-।

"जल जमाव संबंधी योजना" के संबंध में दिनांक 09.02.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत शामिल परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक जारी केंद्रीय सहायता (राशि करोड़ रूपए में)							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	अरुणाचल प्रदेश	23.69	21.18	0	0	0	0
2	असम	0.00	245.49	142.12	85.03	0	14.08
3	बिहार	0.00	0	16.58	0	0	0
4	हिमाचल प्रदेश	50.00	87.50	162.60	176.41	11.87	6.35
5	जम्मू और कश्मीर	40.56	110.40	52.20	92.74	10.14	116.79
6	केरल	0	19.05	0	0	0	0
7	मणिपुर	0	0	0	0	0	52.38
8	मिजोरम	0.00	0.48	0	0	0	0
9	नागालैंड	23.13	0	10.84	0	0	0
10	ओडिशा	0	0	0	0	15.79	2.51
11	उत्तर प्रदेश	0	13.55	15.58	39.15	0	0
12	उत्तराखंड	0	0	4.63	35.58	0	2.77
13	पश्चिम बंगाल	12.61	65.03	23.65	117.12	0	44.15
	कुल	**149.98**	**562.67**	**428.20**	**546.01**	**37.80**	**239.04**

एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक के तहत शामिल परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक जारी केंद्रीय सहायता (राशि करोड़ रूपए में)							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
	बिहार	0	52.57	115.7	65.29	42.49	0
	उत्तर प्रदेश	0	90.43	72.29	0	0	0
	पश्चिम बंगाल	0	0	65.66	0	0	0
	जम्मू और कश्मीर	0	8.78	2.83	4.32	0	3.74
	पंजाब	0	7.47	0	0	0	0
	कुल	**0**	**159.25**	**256.48**	**69.61**	**42.49**	**3.74**

एफएमबीएपी के तहत शामिल परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक जारी केंद्रीय सहायता (राशि करोड़ रूपए में)							
क्र.सं.	**एफएमबीएपी का घटक**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	**एफएमपी**	149.98	562.67	428.20	546.01	37.80	239.04
2	**आरएमबीए**	0	159.25	256.48	69.61	42.49	3.74

एनबी: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एफएमबीएपी योजना के दौरान, 11वीं और 12वीं योजना के 3 स्पिलओवर कार्य अर्थात यूपी -22, यूपी -27 और यूपी -28 को योजना के तहत वित्त पोषण के लिए लिया गया है और अभी भी चल रहा है। फंड रिलीज डेटा ऊपर दी गई तालिका के अनुसार है। एफएमबीएपी स्कीम के अंतर्गत उपर्युक्त परियोजनाओं का कोई वित्तपोषण प्रस्ताव लंबित नहीं है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

एफएमपी - बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

एफ़एमबीएपी - बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफ़एमबीएपी)

आरएमबीए - नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य

*****

अनुलग्नक-।।

"जल जमाव संबंधी योजना" के संबंध में दिनांक 09.02.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत 99 प्राथमिकृत परियोजनाओं के सीएडीडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक जारी केंद्रीय सहायता									
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	लक्ष्य	वित्तीय प्रगति (निधि/जारी सीए)- करोड़ रूपए में						
		लक्षित सीए	जारी सीए 2016-17	जारी सीए 17-18	जारी सीए 18-19	जारी सीए 19-20	जारी सीए 20-21	जारी सीए 21-22	जारी कुल सीए
1	आंध्र प्रदेश	349.37	0.00	0.00	69.18	0.00	0.00	0.000	69.18
2	असम	96.64	0.00	0.00	3.55	0.00	4.00	0.000	7.55
3	बिहार	50.66	12.64	8.76	14.42	0.00	0.00	0.000	35.82
4	छत्तीसगढ़	79.57	0.00	11.78	9.93	0.00	0.00	0.000	21.71
5	गोवा	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.000	3.84
6	गुजरात	2510.88	681.64	690.48	347.04	0.00	0.00	0.000	1719.15
7	जम्मू और कश्मीर	5.24	0.00	0.00	1.70	0.00	1.87	0.000	3.57
8	झारखंड	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
9	कर्नाटक	175.60	31.42	15.24	13.49	3.79	11.34	0.000	75.28
10	केरल	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.000	2.69
11	मध्य प्रदेश	1259.02	77.75	102.79	70.91	0.00	43.32	15.758	310.52
12	महाराष्ट्र	967.09	15.17	32.83	26.09	0.00	46.23	28.878	149.20
13	मणिपुर	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.085	2.09
14	उड़ीसा	420.40	35.28	58.57	3.65	0.00	34.47	0.000	131.96
15	पंजाब	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	0.000	18.08
16	राजस्थान	230.05	0.00	2.48	7.43	10.22	31.26	61.258	112.65
17	तेलंगाना	702.21	0.00	10.22	26.12	0.00	0.00	0.000	36.34
18	उत्तर प्रदेश	914.93	0.00	0.00	0.00	150.00	6.00	0.000	156.00
	कुल :	8235.70	853.90	933.13	593.51	164.01	203.10	107.9784	2855.63

******